

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

424/प्रभ/स
२५/११/१२

८७
८८

अधिसूचना

संख्या :- यो04 / पी0पी0पी0-1 / 2012- ५७१९ / यो0वि�0वि0, दिनांक ३० नवम्बर, २०१२

जन निजी भागीदारी अंतर्गत योजनाओं को स्थारहर्षी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इसको प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए पूर्व में ही राज्य सरकार द्वारा आधारभूत रांचना विकास प्राधिकार का गठन किया जा चुका है।

इस कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक पिचारोपरांत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत किया गया है :—

- | | |
|---|------------|
| (i) मुख्य सचिव, बिहार | अध्यक्ष |
| (ii) विकास आयुक्त, बिहार | उपाध्यक्ष |
| (iii) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| (iv) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार | सदस्य |
| (v) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार | सदस्य |
| (vi) प्रधान सचिव/सचिव/प्रबंध निदेशक/संवैधिक सचिव, विभाग/निगम, बिहार | सदस्य |
| (vii) प्रबंध निदेशक, आधारभूत सरचना विकास प्राधिकार, बिहार | सदस्य सचिव |

जन निजी भागीदारी से संबंधित परियोजनाओं के दस्तावेजों पर उपर्युक्त प्राधिकृत समिति के विचार एवं अनुशंसा करने के पश्चात् ही मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव भेजा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६२४/प्रभ/स
(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: यो04 / पी0पी0पी0-1 / 2012- ५७१९ / यो0वि�0वि0, दिनांक ३० नवम्बर, २०१२
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की प्रति सी0डी0 के साथ राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेपित।

६२४/प्रभ/स
प्रधान सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं०-म०००-०१ / आर-२९ / २००९

दिनांक-

१५/११/०९
०६.०४.१०

अधिसूचना

इधेंग विभाग की अधिसूचना सं०-१४५३, दि०-२७.०४.०६ के द्वारा आधारभूत सरचना विकास प्राधिकार द्वा० अप० सुख्ख सचिव की अधिकता में किया गया है।

२. प्राधिकार के अन्य सहज निम्नांकित हैं—

- (ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग :- सदस्य
- (ग) प्रधान सचिव, इधेंग विभाग :- सदस्य
- (घ) प्रधान सचिव, उर्द्धव विभाग :- सदस्य
- (ङ) प्रधान सचिव, नगर विभाग :- सदस्य
- (ज) उद्धेंग प्रबंधन के दो प्रतिनिधि
- (ज) सरकार द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ
- (झ) प्रबंध निदेशक
- (ट) निदेशक, वित्त
- (ठ) निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन
- (ड) निदेशक, प्रशासन

३. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-५८७

दिनांक-५/४/१०

तीन विभाग एवं विभागीय विभागों द्वारा जिति नामीदारी (पी०पी०पी०) से समर्थित योजनाओं द्वारा विभाग घोषित किया गया है। अनुश्रवण की कार्रवाई के विभिन्न उद्धेंग विभाग की अधिसूचना सं०-१४५३, दिनांक-२७.०४.०६ को अधिकार संशाधित करते हुए प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग को आधारभूत सरचना विकास प्राधिकार का पदेन सदस्य (Ex-Officio Member) मनोनीत किया जाता है।

४. यह अधिसूचना मनोनीत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

विहार राज्यपाल के आदेश से

८०/-

(अफूजल अमानुल्लाह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापक- म०००-०१ / आर-२९ / २००९ दिनांक- ५/४/१०

प्रतिलिपि—अधीक्षक, संजकीय मुद्रणालय, मुलजारबाग, पटना को प्रेषित (C.D. वा) करते हुए अनुरोध है कि कृपया विहार राजपत्र के असाधारण अंक में इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय तथा राजपत्र की मुद्रित २०० प्रतिवर्ष अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

८०/-

(अफूजल अमानुल्लाह)

सरकार के प्रधान सचिव